प्रपत्र संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष,

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

सनसिटी मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45201DL2003PTC119839)

जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"** पर स्थित है, के मामले में।

.........**आवेदक/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। जिसमें **12 अक्टूबर 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में (संशोधन) परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन (स्थांतरण) से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है, या शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के पतेः **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 चौदह दिनों** के भीतर प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। तथा इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"**

आवेदक की ओर से और उनके लिए
सनसिटी मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
अर्पित गोयर्ल, निदेशक
दिनांकः 31.10.2026 डीआईएनः 00129542

प्रपत्र संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष,

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

सूर्यांचल कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899DL2005PTC141302)

जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"** पर स्थित है, के मामले में।

.........**आवेदक/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। जिसमें **12 अक्टूबर 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में (संशोधन) परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन (स्थांतरण) से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है, या शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के पतेः **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 चौदह दिनों** के भीतर प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। तथा इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"**

आवेदक की ओर से और उनके लिए
सूर्यांचल कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
संजय त्यागी, निदेशक
दिनांकः 31.10.2026 डीआईएनः 08235937

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance | पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051.

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी जेबी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड ,, अंधेरी ईस्ट, मुंबई– 400059
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, केएच नं. 700, सरसावन परगना, अर्जुनगंज, निकट– भाटिया बेकरी एवं एक्सिस बैंक, लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226002.

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तारीखों पर ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन–देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधाना. की ओर आकर्शित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/ मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1	मोहम्मद अतीक (उधारकर्ता), निलोफर खान (सह–उधारकर्ता), 296/14 हाता सांगी बेग नियर अकबरी गेट लखनऊ, यूपी लखनऊ 226007, LHLKS00001488663	मकान संख्या सी–5628 ब्लॉक सी सेक्टर 12 राजाजीपुरम जिला लखनऊ 226017 उत्तर प्रदेश में स्थित है सीमाएँ– उत्तर मेंः 5 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण मेंः 6 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व मेंः मकान संख्या–सी –5630, पश्चिम मेंः मकान संख्या–सी – 5626./ कब्जे की तारीख 27–अक्टूबर–26	14–07–2026, रूप्ये 22,73,135.82/–	लखनऊ–दक्षिण
2	मोहम्मद अतीक (उधारकर्ता), निलोफर खान (सह–उधारकर्ता), 296/14 हाता सांगी बेग नियर अकबरी गेट लखनऊ, यूपी लखनऊ 226007, LHLKS00001488664	मकान संख्या सी–5628 ब्लॉक सी सेक्टर 12 राजाजीपुरम जिला लखनऊ 226017 उत्तर प्रदेश में स्थित है सीमाएँ– उत्तर मेंः 5 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण मेंः 6 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व मेंः मकान संख्या–सी –5630, पश्चिम मेंः मकान संख्या–सी – 5626./ कब्जे की तारीख 27–अक्टूबर–26	14–07–2026, रूप्ये 66,615.76/–	लखनऊ–दक्षिण

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक संपत्तियां सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी।

दिनांकः 31–अक्टुबर 2026 स्थानः लखनऊ, **अधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी–बिल्डिंग, गंगा ट्रूो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014.

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसे इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा। के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इन सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि	सांविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	जय बीर, जय इंडस्ट्रीज, पिंकी,	प्लॉट का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 81 वर्ग गज भूमि खसरा नं. 41//8/2 में से ग्राम उचागांव (आदर्श नगर), तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित है। जिसे आगे संपूर्ण संपत्ति कहा जाएगा। पूर्व – अन्य की संपत्ति, पश्चिम – शिव चरण का मकान, उत्तर – अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, दक्षिण – 24 फुट चौड़ी सड़क	27/10/2026	10/08/2026	ऋण संख्या HM0179H18100194 रु. 12,85,563/– (रुपये बारह लाख पचासी हजार पाँच सौ तिरसठ मात्र), दिनांक 10.08.2026 तक देय, साथ ही पूर्ण राशि की वसूली होने तक 17.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
2.	अनिल कुमार माथुर, रीना माथुर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि तीसरी मंजिल आवासीय भूखंड नं. 128, क्षेत्रफल 130 वर्ग गज खसरा नं. 299 में से गली नं. 12, डी–4, अशोक वाटिका, हदबस्त ग्राम पसोंडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित है।जिसे आगे उक्त संपत्ति कहा जाएगा। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व – अन्य भूखंड, पश्चिम – 15 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर – रामानंद का भूखंड, दक्षिण – भूखंड नं. 127, विशाल	29/10/2026	10/08/2026	ऋण संख्या HL00244100000005036410 रु. 12,69,534/– (रुपये बारह लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ चौंतीस मात्र), दिनांक 10ध08ध2026 तक देय, साथ ही पूरी राशि की वसूली होने तक 13.45% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः दिल्ली,
दिनांकः 31.10.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पीपुल होम फाइनेंस लिमिटेड

peoplehome (पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से विदित); CIN NO.: U65990MH2017PLC472040

पंजीकृत कार्यालयः 19डब्लू - सी विंग, द रूबी, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई - 400028, महाराष्ट्र, भारत

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के अंतर्गत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लेखित उधारकताओं ने ऋण समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों ("लेनदेन दस्तावेज") के नियमों और शर्तों के अनुसार पीपुल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("ऋणदाता"/"सुरक्षित लेनदार") से नीचे वर्णित संपत्ति ("सुरक्षित संपत्ति") की सुरक्षा के एवज में ऋण प्राप्त किया है। आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13(2) और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपको नीचे उल्लेखित मांग सूचना जारी किया है। इसलिए, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सूचना तामील करने के लिए यह वर्तमान प्रकाशन किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) का नाम एवं पता, ऋण खाता सं. और शाखा	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
1.	सोनू कुमार, पुत्र सेवा राम, सीमा, पत्नी सोनू कुमार दोनों का पताः 3737, कूचा महत्तर खान, मोरी गेट, बारात घर, दिल्ली जी.पी.ओ., उत्तर दिल्ली, दिल्ली - 110006 ऋण खाता सं.: **HLNLAPNOI0019089**	संपत्ति सं. 3737, क्षेत्रफल 25 वर्ग गज, कूचा महत्तर खान, मोरी गेट, उत्तर दिल्ली, दिल्ली - 110006 में स्थित, सभी अधिकारों सहित (जिसमें सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सहूलियतों का उपयोग और उपभोग करने के अधिकार, विकास अधिकार आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि लागू हो):	13-07-2026 एवं 09-07-2026	**रु. 16,55,981/- (रु. सोलह लाख पचपन हजार नौ सौ एकासी मात्र)** 10/07/2026 **को**

इसलिए आपको इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों की अवधि के भीतर ऋणदाता को उपर्युक्त राशि, साथ ही भुगतान तक उस पर देय आगे के ब्याज, लागत, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर ऋणदाता अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा।कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध शक्तियों में, अन्य बातों के अलावा, सुरक्षित संपत्तियों का वास्तविक कब्जा लेने की शक्ति शामिल है, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों की वसूली के लिए पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार, सुरक्षित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में नियुक्त करना, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से कोई भी सुरक्षित संपत्ति प्राप्त की है और जिससे उधारकर्ता को कोई धन देय है या देय हो सकता है, सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन सुरक्षित लेनदार को चुकाने की मांग करना शामिल है।अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से सुरक्षित संपत्तियों को हस्तांतरित करने, उनका निपटान करने या उनसे लेन-देन करने से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है।

हस्ता/-

दिनांक - 31.10.2026 **अधिकृत अधिकारी - पीपुल होम फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान - दिल्ली **(पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से विदित)**

IDBI BANK

CIN : L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनपीए प्रबंधन समूह, मंजिल 8, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, किदवई नगर पूर्व, नई दिल्ली– 110023

कारण बताओ सूचना

उधारकर्ताः ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी प्रा. लि. (जीआईएनसीपीएल) और पंजीकृत कार्यालय का पताः बेसमेंट के दाईं ओर का कार्यालय वाला हिस्सा, ई–311 दया टॉवर, मुख्य वसंत कुंज रोड, महिपालपुर, नई दिल्ली

यहाँ नीचे उल्लिखित संस्थाओं/व्यक्तियों को सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') ने यहां नीचे उल्लिखित संस्थाओं/व्यक्तियों (''आप''/''आपके'') के विरुद्ध 'भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) निर्देश, 2025' दिनांक 28 नवंबर, 2025 (''आरबीआई मास्टर निर्देश'') के तहत कार्यवाही शुरू की थी और इसके तहत 03 सितंबर 2026 को एक 'कारण बताओ सूचना' (''एस.सी.एन.'') जारी की गई थी। यह सूचना 'इरादतन चूककर्ता पहचान समिति ।।' (''डब्ल्यूडीआईसी ।।'') की इस प्राथमिक राय पर आधारित था कि नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर, ''इरादतन चूक'' की एक या अधिक घटनाएं हुई हैं

नाम और पताः	पदनाम	इरादतन चूक के लिए मानदंड
एसजी इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. और पताः **1.** बेसमेंट के दाईं ओर का कार्यालय वाला हिस्सा, ई–311 दया टॉवर, मुख्य वसंत कुंज रोड, महिपालपुर नई दिल्ली **2.** के–804/जेड, माता चौक, महिपालपुर, वसंत कुंज रोड, नई दिल्ली–110037	(जीआईएनसीपीएल का कॉर्पोरेट गारंटर)	3 (1) (xviii) (बी)
श्री राजिंदर गुप्ता और पताः **1.** बेसमेंट के दाईं ओर का कार्यालय वाला हिस्सा, ई–311 दया टॉवर, मुख्य वसंत कुंज रोड, महिपालपुर नई दिल्ली **2.** के –804/जेड , माता चौक, महिपालपुर, वसंत कुंज रोड, नई दिल्ली –110037 **3.** 1304, आइवरी टावर, साउथ सिटी– , गुड़गांव–122002	(निदेशक, कॉर्पोरेट गारंटर, एसजी इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.)	

चूंकि उक्त एस.सी.एन. वापस कर दिया गया था/सेवा नहीं दी गई थी; आपको इस प्रकाशन की तारीख से **21 (इक्कीस) दिनों** के भीतर बैंक को कारण बताने के लिए सूचित किया जाता है कि आपको ''इरादतन चूककर्ता '' के रूप में क्रेडिट सूचना कंपनियों को घोषित और रिपोर्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर एस.सी.एन. के खिलाफ कोई प्रस्तुति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है।

आप बैंक से मंजिल 8, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, किदवई नगर पूर्व, नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से (पहचान प्रमाण प्रस्तुत करके) या आपके पंजीकृत ईमेल से sanjeev.kumar@idbi.co.in आईडी पर ईमेल के माध्यम से बैंक द्वारा भेजे गए विस्तृत एस.सी.एन प्राप्त कर सकते हैं। इस सूचना को वैध और आप पर एस.सी.एन. की पर्याप्त सेवा माना जाएगा, भले ही विस्तृत एस.सी.एन. आपको बैंक से प्राप्त न हो।

आप ध्यान दें कि, ''इरादतन चूककर्ता'' के रूप में घोषित किए जाने पर, बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के साथ–साथ कानून और अनुबंध के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भवदीय,
संजीव कुमार सिरवालिया (उमप्र)

प्रपत्र संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष,

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

सनसिटी इन्फ्रारियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U70109DL2008PTC175570)

जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"** पर स्थित है, के मामले में।

.........**आवेदक/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। जिसमें **12 अक्टूबर 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में (संशोधन) परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन (स्थांतरण) से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है, या शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के पतेः **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 चौदह दिनों** के भीतर प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। तथा इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"**

आवेदक की ओर से और उनके लिए
सनसिटी इन्फ्रारियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
मनोज शर्मा, निदेशक
दिनांकः 31.10.2026 डीआईएनः 09359701

प्रपत्र संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष,

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

सनसिटी कंस्ट्रक्टवेल प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45400DL2008PTC179304)

जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"** पर स्थित है, के मामले में।

.........**आवेदक/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। जिसमें **12 अक्टूबर 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में (संशोधन) परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन (स्थांतरण) से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है, या शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के पतेः **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 चौदह दिनों** के भीतर प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। तथा इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"**

आवेदक की ओर से और उनके लिए
सनसिटी कंस्ट्रक्टवेल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
मानसी गोयल, निदेशक
दिनांकः 31.10.2026 डीआईएनः 06928642

प्रपत्र संख्या आइएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष,

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

राधेश रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U70109DL2006PTC153743)

जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"** पर स्थित है, के मामले में।

.........**आवेदक/याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। जिसमें **11 अक्टूबर 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में (संशोधन) परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है। ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन (स्थांतरण) से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है, या शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय।** के पतेः **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 चौदह दिनों** के भीतर प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। तथा इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे। **"एलजीएफ-10, वसंत स्क्वायर मॉल, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-V, कम्युनिटी सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070"**

आवेदक की ओर से और उनके लिए
राधेश रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
अंकित गोयल, निदेशक
दिनांकः 31.10.2026 डीआईएनः 00129266

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

RattanIndia POWER

RattanIndia Power Limited

(CIN : L40102DL2007PLC169082)

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi-110037

Phone: 011-46611666 ; Email ID: ir_rpl@rattanindia.com ; Website: www.rattanindiapower.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

RattanIndia Power Limited ("the Company") hereby informs that the Board of Directors of the Company at their meeting held on October 30, 2026 approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2026.

The financial results alongwith the limited review report of Statutory Auditors have been posted on the Company's website (https://www.rattanindiapower.com/wp-content/uploads/2026/10/RPLRESULTSSEP26.pdf), and on the Stock Exchanges website at National Stock Exchange of India Limited (https://nsearchives.nseindia.com/corporate/RTNPOWER_30102026135038_RPLRESULTSSEP26.pdf) & BSE Limited (https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/6a36f7da-34a8-4786-93ef-437da394ce8d.pdf). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:

Scan the QR code to view financial results on website of the Company

Scan the QR code to view financial results on stock exchange website of National Stock Exchange of India Limited

Scan the QR code to view financial results on stock exchange website of BSE Limited

For and on behalf of the Board of Directors of RattanIndia Power Limited
sd/-
Himanshu Mathur
Whole Time Director
DIN : 03077198

Place: New Delhi
Date: October 30, 2026

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

dhanuka

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L24219HR1985PLC122802
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः ग्लोबल गेटवे टावर्स, एमजी रोड, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम–122 002, हरियाणा, भारत
फोनः +91 124 434 5000, ईमेलः investors@dhanuka.com, वेबसाइटः www.dhanuka.com

30.09.2026 को समाप्त तिमाही और अर्ध वार्षिक के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ in Lakhs)

क्र. सं.	विवरण	स्टेण्डअलोन			समेकित	
		तिमाही समाप्ति	अर्ध वर्ष समाप्ति	तिमाही समाप्ति	वर्ष समाप्ति	अर्ध वर्ष समाप्ति
		30.09.2026	30.09.2026	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2026
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	66,668.37	1,13,747.46	60,456.55	66,668.37	1,13,747.46
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या आपवादिक मदों से पहले)	14,646.75	19,504.11	12,597.25	14,646.75	19,504.11
3	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या आपवादिक मदों के बाद)	10,922.24	14,552.68	9,396.55	10,922.24	14,552.68
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लिए लाभ/(हानि) और कर के बाद अन्य व्यापक आय (ओसीआई) शामिल)	10,922.24	14,552.68	9,396.55	10,922.24	14,552.68
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 2/–प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य)	891.57	891.57	901.57	891.57	891.57
6	अन्य इक्विटी (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-
7	प्रति शेयर आय (जारी और बंद परिचालनों के लिए) (प्रत्येक 2/–) (वार्षिक नहीं) –मूलभूत ईपीएस (रु.)	24.43	32.49	20.85	24.43	32.49
	–तरलीकृत ईपीएस (रु.)	24.43	32.49	20.85	24.43	32.49

टिप्पणियाँ:

1. दिनांक 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है, जिसे सेबी (सूचीबद्धता संबंधी दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.dhanuka.com पर भी उपलब्ध है।
2. उपरोक्त गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और उसके बाद 30 अक्टूबर, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा अभिलेख में लिया गया। कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ''सीमित समीक्षा'' की है।
3. 30 सितंबर, 2026 को समाप्त छह माह के दौरान, कंपनी ने अपने 5,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा है, जो कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 1.11% है। ये शेयर रु. 1,400/– प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल रु.70.00 करोड़ की राशि में वापस खरीदे गए तथा 20 जून, 2026 को इन शेयरों को समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, चुकता शेयर पूंजी में रु.10,00,000 की कमी हुई है।
4. 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, धनुका एग्रीटेक यूरोप प्राइवेट लिमिटेड, को 26 अगस्त, 2026 को आयरलैंड में निगमित किया गया। कंपनी ने निगमन दस्तावेजों के अनुसार सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में अभिदान किया है, तथापि, अभिदान की राशि 30 सितंबर, 2026 तक अवैतनिक रही और इसे लागू फेमा विनियमों के अनुसार भेजने का प्रस्ताव है। परिणामस्वरूप, उक्त संस्था 26 अगस्त, 2026 से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई और इन समेकित वित्तीय परिणामों में इसे शामिल किया गया है।

स्थानः गुरुग्राम (हरियाणा)
तिथिः 30.10.2026

पूर्ण वित्तीय परिणामों के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

कृते और बोर्ड की ओर से
धानुका एग्रीटेक लिमिटेड
एसडी/–
(एम.के. धानुका)
अध्यक्ष
डीआईएनः 00628039

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती रितु रानी पत्नी श्री राम भगत श्री/श्रीमती रामभगत पुत्र श्री बलजीत पिल्लू गोड़ा जींद हरियाणा–120113 **LAPIVLLONS000005144350/ AP-10325062** **शाखा : पानीपत–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** 304 वर्ग गज (यानी 10.05 मरला) भूमि, जो 40 कनाल 06 मरला भूमि का 201/16120 हिस्सा है। जमीन नंबर 109121 नंबर 22. कित्ता नंबर 2/7 मिन (0–4), 9/1/1 (0–11), रेक्ट नंबर 61 किला 15(0–0), रेक्ट नंबर 62 किला नंबर 11 (8–0), 12/1/1(2–10), 14/1(1–10), 16(1–10), 17(7–7), 24/1(5–7), 25/1(5–7) में शामिल है (जैसा कि 2017–2018 को जमाबंदी में दर्ज है। यह जमीन पिल्लूखेड़ा गाँसेर जिला जींद में स्थित है। इसका विवरण एस. आर. पिल्लूखेड़ा के ट्रांसफर नंबर 1895 (दिनांक 16–12–2022) के अनुसार है (इसे आगे उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। सीमाएँ और माप एस. आर. पिल्लू खेड़ा के ट्रांसफर डीड नंबर 1995 (दिनांक 16–12–2022) के अनुसार हैं। सीमाएँ पूर्व 72 रामभगत की संपत्ति पश्चिमः 72 फीट (रामभगत की संपत्ति), उत्तर 38 फीट (सड़क) दक्षिण 34 फीट रामभगत की संपत्ति	मांग सूचना 12–07–2026 रू. 1459848/– (रुपये चौदह लाख उनसठ हजार आठ सौ अड़तालीस मात्र 12–07–2026 को देय, साथ में 13–07–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	28–10–2026
श्री/श्रीमती सुख देव पुत्र जिले सिंह, श्री/श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सुख देव 43 गाँव सिंघाना, तहसील सफीदों जिला जींद हरियाणा – 126112 **LA11SVLONS000005168394/ AP-10386260** **शाखाः पानीपत–1**	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय संपत्ति के वसीका नंबर 313 दिनांक 26/04/2024, प्लॉट/मकान का 141 वर्ग गज, 04 मरले – 06 सरसई, कुल भूमि 00के–05एम में से 42/135 हिस्सा, खेवट नंबर 731, खाता नंबर 881, 234(0–3), 443/1(0–12) कित्ते–02, जो वाका रकबा गांव सिंघाना तहसील सफीदों जिला जींद, हरियाणा 126112 में स्थित है फोन नंबर 7015553846; संपत्ति स्वामिनी – सुनीता देवी, ट्रांसफर डीड के अनुसार सीमाएं :– पूरब – गलीः– 26'–7", पश्चिम – रामफल का खाली प्लॉटः– 26'–4", उत्तर – चंद्रपाल का मकानः– 45'–0", दक्षिण – धर्मवीर का मकानः– 51'–4"	मांग सूचना 12–अगस्त–2026 रु. 665137/– (रुपये छह लाख पैंसठ हजार एक सौ सैंतीस केवल) 11–अगस्त–2026 तक देय, साथ में 12–अगस्त–2026 से लागू ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	28–10–2026

स्थान : जींद वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड

सीआईएन : L74993UP1990PLC015721
पंजीकृत कार्यालय : 10.5 किमी माइल स्टोन, रामपुर-बरेली रोड, रामपुर -244901
वेबसाइट : www.indiantoners.com, ई-मेल : info@indiantoners.com, दूरभाष : 011-45017000

30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30 सितंबर, 2026 अलेखापरीक्षित	30 जून, 2026 अलेखापरीक्षित	30 सितंबर, 2025 अलेखापरीक्षित	30 सितंबर, 2026 अलेखापरीक्षित	30 सितंबर, 2025 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2026 लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से आय	4,111.95	3,620.66	3,885.49	7,732.61	7,795.75	16,581.14
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	756.86	796.87	714.04	1,553.73	1,600.19	3,506.25
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित मदों के पश्चात)	756.86	796.87	714.04	1,553.73	1,600.19	3,470.41
4.	अवधि हेतु कर तथा अपवादित मदों के पश्चात लाभ/(हानि)	557.78	609.69	538.46	1,167.46	1,322.51	2,723.30
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	561.04	615.66	538.16	1,176.70	1,327.37	3,569.41
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,039.17	1,039.17	1,039.17	1,039.17	1,039.17	1,039.17
7.	आय प्रति शेयर रु. 10 प्रत्येक के						
	(अ) बेसिक (रु.)	1.07	1.17	1.04	2.25	2.55	5.24
	(ब) डाइल्यूटेड (रु.)	1.07	1.17	1.04	2.25	2.55	5.24

नोट :

1. उक्त वित्तीय परिणाम, कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षित किये गये थे, लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित किये गये थे, तथा 30 अक्टूबर, 2026 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गये थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों की समीक्षित रिपोर्ट बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट **www.indiantoners.com** के **Investors** खंड के अंतर्गत तथा **www.bseindia.com** के कॉर्पोरेट खंड में **Financial Results** के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. बोर्ड ने 30.10.2026 को आयोजित अपनी बैठक में रु. 1.20 प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्यः रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर) का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

बोर्ड के आदेश से
कृते इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड
हस्ता./–
(सुशील जैन)
अध्यक्ष
डीआईएन : 00323952

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30 अक्टूबर, 2026

परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

INDIAN EXPRESS GROUP

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS